मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश,

कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आनन्द नगर, आलमबाग, लखनऊ–226005.

परिपत्र संख्या– 19 /लो0शि0(6)/2019. दिनांकः 12 जुलाई, 2019.

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– प्रदेश की कारागारों में मोबाइल फोन एवं अन्य निषिद्ध सामग्रियों के प्रयोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर–1117 द्वारा कारागारों में निषिद्ध वस्तुओं को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया गया है तथा प्रस्तर–1217 तथा 1218 में कारागार में निषिद्ध वस्तुओं को रोकने हेतु तलाशी के सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या–916जे/22–3–21/1999, 15 मार्च, 1999 सपठित शासनादेश संख्या–2913जेएल/22–3–2003, दिनांक 22 अगस्त, 2003 सपठित दिनांक 15 मार्च, 1999 एवं शासनादेश संख्या–3411जेएल/22–3–2013 –38/2005, दिनांक 29 जनवरी, 2014 तथा मुख्यालय स्तर से समय–समय पर जारी परिपत्रों द्वारा प्रदेश की कारागारों में मोबाइल निषिद्ध वस्तु के रूप में चिन्हित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध कुख्यात/माफिया प्रकृति के बन्दियों द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग कर आपराधिक गतिविधियों का संचालन करने, कारागार में मोबाइल के माध्यम से बनाये गये वीडियो/फोटो विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल करने आदि की घटनाएं विभिन्न समाचार पत्रों/न्यूज चैनल के माध्यम से निरन्तर प्रकाशित/प्रसारित होती रहती हैं, जिससे विभाग और शासन की छबि धूमिल होती है। उपरोक्त शासनादेशों तथा मुख्यालय के स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी नियमविरूद्ध तरीके से निषिद्धतम् वस्तु होने के बावजूद प्रदेश की कारागारों में मोबाइल फोन उपलब्ध हैं एवं संचालित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कारागार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गम्भीरता से न कर अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन में जानबूझकर घोर उदासीनता बरती जा रही है, जो किसी भी दशा में ग्राह्य एवं क्षम्य नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति के दृष्टिगत् आदेशित किया जाता है किः–

1– कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक/जेलर केवल मुख्यालय द्वारा जारी सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर का उपयोग अपने कार्यालय कक्ष तक ही कर सकेंगे। भ्रमण हेतु कारागार के गेट सं0–2 के भीतर जाने पर उपरोक्त सी0यू0जी0 मोबाइल अपने कार्यालय कक्ष अथवा गेट सं0–2 से पूर्व किसी सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। अन्य किसी जेल अधिकारी/कर्मचारी एवं आगुन्तकगण को कारागार के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस निमित्त किसी सुविधाजनक स्थान पर एक लॉकर की व्यवस्था की जाये, जहां कार्मिक अपना मोबाइल जमा कर सके। कारागार का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी कारागार के भीतर अपना निजी मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा तथा मुख्य द्वार पर उनकी निरन्तर तलाशी कराकर ही कारागार के भीतर प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा।

———/2.....

2– कारागार के भीतर आने वाले समस्त आगन्तुकों के मोबाइल फोन को सुरक्षित स्थान पर रखवाए जाने हेतु कारागार के प्रथम गेट के बाहर एक लॉकर स्थापित कराया जाये, जिसमें टोकन व्यवस्था लागू कर आगन्तुकों का मोबाइल जमा कराये जाने के पश्चात ही कारागार में प्रवेश दिया जाये।

3– कारागार में ड्युटी हेतु आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों, मुलाकातियों, बाद पेशी से आये बन्दियों तथा नवागन्तुक बन्दियों की नियमित रूप से सघन तलाशी कराकर कारागार में प्रवेश सुनिश्चित किया जाये।

4– रात्रि में ड्युटी हेतु आने वाले कार्मिकों की आकस्मिक तलाशी अधीक्षक तथा कारापाल स्तर से करायी जाये।

5– अधीक्षक समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर से स्पष्ट रूप से निर्देशित (ब्रीफ) कर दें कि जेल नियमावली में सूचीबद्ध निषिद्ध वस्तुएं एवं मोबाइल फोन पूर्णतया प्रतिबन्धित है। अतः इन वस्तुओं की किसी भी दशा में कारागार में उपलब्धता क्षम्य नहीं होगी।

6– कारागार प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर–1216 में यथा निर्धारित व्यवस्था का भी आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अतः उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में निषिद्ध वस्तुओं एवं तलाशी के सम्बन्ध में यथा निर्धारित प्रावधानों, संदर्भित शासनादेशों तथा मुख्यालय स्तर से समय–समय पर जारी परिपत्रों द्वारा जारी निर्देशों के साथ उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित न होने की दशा में सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार व्यक्तिगत् रूप से उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त की प्राप्ति स्वीकार कर आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

12/7/15

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।